न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 91/2022

1 रामावतार पुत्र सुवालाल।
2 अनोखी देवी पत्नी राधेश्याम।
3 मातादीन पुत्र राधेश्याम।
4 मामराज पुत्र कानाराम उर्फ कानाराम (मृतक)।
4/1 अमरचन्द पुत्र मामराज।
4/2 सुभाषचन्द्र पुत्र मामराज।
4/3 राजेश कुमार पुत्र मामराज।
4/4 कमोद देवी पुत्री मामराज।
4/5 ममता देवी पुत्री मामराज।
4/6 बबीता देवी पुत्री मामराज।
5 मालीराम पुत्र कानाराम उर्फ कानाराम।
6 गीता देवी पुत्री कानाराम उर्फ कानाराम समस्त जाति नाई निवासीगण सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सोनी देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राहम्ण।
2 सुवा देवी पत्नी विश्वेसर (नाम हजफ)।
3 बाबूलाल पुत्र विश्वेसर।
4 रमेश पुत्र विश्वेसर।
5 भगवती प्रसाद पुत्र विश्वेसर समस्त जाति नाई निवासीगण सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 पटवारी हल्का कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 मदनलाल पुत्र सुवालाल।
10 कैलाश पुत्र सुवालाल।
11 चौथी देवी पुत्री कानाराम उर्फ कन्हैयालाल समस्त जाति नाई निवासीगण सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी
श्री दिलीप सिंह आर.ए.एस. दावा संख्या 88/2006
उनवानी मदनलाल आदि बनाम श्रीमती सुवा देवी
दिनांकित 08.06.2022

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण कुमार झाझडीया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.5.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2006 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 50 का विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की। इस डिक्री के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो रिमाण्ड की गई। विचारण न्यायालय द्वारा रिमाण्ड में जारी निर्देशों की पालना किये विना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम सिमारला कोटड़ी तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 50 का विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की। इस डिक्री के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो रिमाण्ड की गई। विचारण न्यायालय द्वारा रिमाण्ड में जारी निर्देशों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 129/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2017 में विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया था कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये आदेश 14 नियम 5 सीपीसी की पालना में तनकीयात कायम करे एवं आदेश 20 नियम 3 की पालना में साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय करें। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 13.12.2017 को इन निर्देशों का आदेशिका में अंकन कर अग्रिम कार्यवाही की गई है किन्तु दिनांक 31.12.2017 से लेकर विचाराधीन निर्णय की दिनांक तक न तो तनकी कायम की गई है न ही साक्ष्य ली गई है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(2) पेज 1115, आर.आर.टी. 2018–19 पेज 262 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी के वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करता हूं। रास्ते का प्रावधान करते हुये आगे की भूमि प्रतिवादी को देते है तो हमे कोई ऐतराज नही है। बंटवारा कर दिया जावें। इस सहमती के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना काउण्टर क्लेम के अनुसार विभाजन की विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। सहमती के आधार पर पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री की अपील पोषणीय नही है। अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी के वकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार करता हूं। रास्ते का प्रावधान करते हुये आगे की भूमि प्रतिवादी को देते है तो हमे कोई ऐतराज नही है। बंटवारा कर दिया जावें। इस सहमती के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना काउण्टर क्लेम के अनुसार विभाजन की विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। सहमती के आधार पर पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री की अपील पोषणीय नही है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर